वैज्ञानिक तथा औधोगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली — 110001 COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI — 110001

सं0/No. 3-4(C)/2025-E-।

दिनांक/Date: 29.05.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u> OFFICE MEMORANDUM

विषय :

रिक्ति वर्ष 2025 के लिए विभिन्न ग्रुप 'क' सामान्य संवर्ग पदों पर पदोन्नति के लिए पैनल में

शामिल सामान्य संवर्ग अधिकारियों की पदोन्नति व पोस्टिंग के संबंध में।

Sub:

Posting on Promotion of the CCOs Empanelled for Promotion to various

Group 'A' Common Cadre Posts for the Vacancy Year 2025 - reg.

महानिदेशक, सीएसआईआर ने इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-3 (बी) / 2025-ई.। दिनांक 28.11.24 के माध्यम से अधिसूचित पैनल से पदोन्नति पर निम्नलिखित सामान्य संवर्ग अधिकारि की पोस्टिंग को स्वीकृति प्रदान की है:

DG, CSIR has been pleased to approve posting of the following CCO(s) on his/her promotion from the panels notified vide this Office OM Number 3-3(b)/2025-E-I dated 28.11.2024, as per the details given in following paras:

2. अवर सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी के पद से उप सचिव/ प्रशासन नियंत्रक के पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारी

Under Secretary/Administrative Officer promoted as Deputy Secretary/Controller of Administration

SI.	Name of the Officer	Present Place of Posting	Place of Posting on Promotion	Joining to be effective on or after	Remarks
1,,,	Sh. Ram Kumar Singh	NEIST	NEIST	On or after	
				01.06.2025	

3. पदोन्नत होने वाले अधिकारी पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अविध को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

The promotee will be on probation for a period of one year from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority.

4. पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारी नए पदस्थापन स्थल पर तुरंत, सिवाय उन मामलों के जहाँ पर कोई विशेष तिथि / शर्त इंगित की गयी है, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि/ विशेष तिथि / शर्त से एक माह के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लें।

The promotee may join their promoted post/new places of posting immediately except in the cases where specific date / conditions are mentioned as above but in any case within one month from the date of issue of this OM/specific date.

5. प्रोन्नति पाने वाले अधिकारि का वेतन सामान्य नियमों के तहत तय किया जाएगा। हालाँकि, एफआर-22 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार उनके पास पद का कार्यभार संभालने की तारीख से एक महीने के भीतर नए पद पर पदोन्नति की तारीख से या निचले पद पर वेतन वृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण के लिए विकल्प होगा।

The pay of the promotee will be fixed under the normal rules. However, he/she will have the option, to be exercised within one month from the date of taking over charge of the post, for fixation of pay in the new post with effect from the date of promotion to the new post or with effect from the date of increment in the lower post, in terms of the extant provisions of FR-22.

6. उपरोक्त सूचीबद्ध अधिकारि के खिलाफ पदोन्नत पद पर वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि आरोप पत्र जारी करना, आपराधिक मामला लंबित होना और निलंबन उत्पन्न होता है, तो डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/4/91-स्था.(ए) दिनांक 14.09.1992 के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी डीपीसी सिफारिशों को सीलबंद कवर के तहत माना जाएगा।

In case of any of the circumstances i.e. issue of Charge sheet, pending of criminal case and suspension arises against any of the above empaneled officer before their actual joining the promoted post, his/her DPC recommendations shall be deemed to be under sealed cover as per DOPT OM No.22011/4/91-Estt.(A) dated 14.09.1992.

7. पदोन्नति पर नियुक्ति उपरोक्त सीएसआईआर ओएम संख्या 3-3(बी)/2025-ई.आई दिनांक 28.11.2024 में उल्लिखित विभिन्न नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

The appointment on promotion will be subject to various terms and conditions mentioned in aforesaid CSIR OM Number 3-3(b)/2025-E. I dated 28.11.24.

8. ज्वाइनिंग रिपोर्ट की एक प्रति ईमेल के माध्यम से ईमेल आईडी ccoe1@csir.res.in पर तुरंत भेजी जा सकती है।

A copy of the joining report may be sent through email to email ID ccoe1@csir.res.in immediately.

(Sunil Kumar / सुनील कुमार) Deputy Secretary/ उप सचिव

Copy to: -

- 1. Directors of all CSIR Labs/Instts/ सीएसआईआर के सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक
- 2. Heads HRDG/HRDC/IPU/URDIP/TKDL/प्रमुख-एचआरडीजी/एचआरडीसी/आईपीयू/टीकेडीएल
- 3. Officer concerned/ संबंधित अधिकारी
- 4. Office of DG, CSIR/कार्यालय, महानिदेशक, सीएसआईआर
- 5. Office of JS (Admn.), CSIR/ कार्यालय, संयुक्त सचिव(प्रशा.), सीएसआईआर
- 6. Office of FA, CSIR/ कार्यालय, वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर
- 7. Office of CVO, CSIR/ कार्यालय, मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
- 8. LA, CSIR/ विधि सलाहकार
- 9. Sr. DS (HR)/ वरि. उप सचिव (मानव संसाधन)
- 10. DS (CO)/ उप सचिव (केंद्रीय कार्यालय)
- 11. O&M and Vigilance Section, CSIR HQ/ ओ एंड एम एवं सतर्कता अनुभाग, परिषद मुख्यालय
- 12. CCO ACR Cell, CSIR HQ/ सीसीओ एसीआर सैल, परिषद मुख्यालय
- 13. Personal files of the Officers concerned/ संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत फ़ाइलें
- 14. IT Division with the request to host this OM on CSIR website आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
- 15. Guard File/ गार्ड फाईल
- 16. Office copy/ कार्यालय प्रति